बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

संचिका संख्या– V/नि0–3–01/2024...1950.../ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर **अवर निबंधक/संयुक्त अवर निबंधक** पदों के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन (Certificates Verification) मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना के प्रथम तल स्थित विभागीय सभाकक्ष में **दिनांक–18.05.2024 को पूर्वाह्न 10:00 बजे** से किया जायेगा:–

क्र0	रौल नं0	उम्मीदवार का नाम
1	525541	सुश्री अंजलि जोशी
2	212106	सौरव रंजन
3	185145	श्री आसिम खान
4	416831	सुश्री अंजलि प्रभा
5	322723	श्री आशुतोष
6	262432	सुश्री श्रेया सलोनी
7	444032	श्री सत्य प्रकाश सिंह
8	341365	श्री अमन कुमार
9	227674	श्री उदय शंकर
10	216582	श्री आशिष कुमार
11	111479	श्री आकाश रंजन
12	512491	सुश्री सिमरन स्वराज
13	270557	सुश्री अनुप्रिया कुमारी
14	446085	सुश्री रूचि शर्मा
15	470541	श्री राकेश कुमार
16	516260	श्री मुकेश कुमार
17	486750	श्री गोपाल जी सिंह,
18	378259	श्री निखिल अनुराग
19	503668	सुश्री दिपशिखा

(2) प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी छायाप्रतियों की दो–दो स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगेः–

01. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
02. इन्टरमीडिएट, स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
03. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण–पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
04. अगर अभ्यर्थी पूर्व किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय में नियोजित/कार्यरत हों तो नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC)।
05. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के SC/ST अभ्यर्थियों के लिए)।
06. बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (BC/EBC अभ्यर्थियों के लिए)/EWS प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)।
07. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए)।
08. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश–पत्र।
09. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण–पत्र।
10. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन विहित प्रपत्र 02 (दो) प्रतियों में।
11. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ–पत्र कि "सभी प्रमाण–पत्र सही है तथा आपके विरूद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है तथा पूर्व में किसी फौजदारी मामले में सजा नहीं हुई है।" उक्त शपथ पत्र का विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
12. पासपोर्ट साईज़ का अभ्यर्थी का 04 (चार) नवीनतम कलर फोटो।
13. कोई फोटो दस्तावेज, जो अभ्यर्थी के पहचान को प्रमाणित कर सकें (यथा–आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि)।
14. प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जाँच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(3) उक्त सभी परीक्ष्यमान अवर निबंधकों/संयुक्त अवर निबंधकों का पूर्ववृत सत्यापन एवं दस्तावेज सत्यापन के लिये निम्न प्रकार से विभागीय समिति गठित किया जाता है :–

1. श्री नीरज कुमार देवनाथ, अवर सचिव।
2. श्री गौरव कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी।
3. श्री आदित्य कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी।

(4) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

14/05/24

(निरंजन कुमार)
सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– V/नि0–3–01/2024 1950 / पटना, दिनांकः– 14-5-24

प्रतिलिपिः–1. वरीय सहायक निदेशक–सह–सत्र समन्वयक, बिपार्ड, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि बिपार्ड, गया में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें उक्त परीक्ष्यमान अवर निबंधक/संयुक्त अवर निबंधक को शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन (Certificates Verification) हेतु आवश्यक निदेश देने की कृपा करें।

2. श्री नीरज कुमार देवनाथ, अवर सचिव/ श्री गौरव कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/श्री आदित्य कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी संबंधित परीक्ष्यमान अवर निबंधक/संयुक्त अवर निबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सचिव–सह–आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. प्रशाखा–2 (मुख्यालय स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि दिनांक–18.05.2024 (शनिवार) को दस्तावेज सत्यापन हेतु सभागार एवं कमरा संख्या–344 खोले जाने हेतु संबंधित केयर टेकर/परिचारी को निदेशित किया जाय।
6. विभागीय प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/05/24

सरकार के उप सचिव
बिहार, पटना।